3-1-22 [illegible] /प्रतिवादी [illegible] राजकार्य [illegible] नहीं
हो सका। [illegible] दिनांक
पेश हो। 16-3-22 को

16/3/22 पत्रावली पेश हो। वकील पक्षकार उपस्थित हो। इजराय में पारित निर्णय दिनांक 31.1.21 की पालना की जा चुकी है। नकल जमाबन्दी मुताबिक नामान्तरण खाता सं. 80 संवत 2075-2078 संलग्न है। अतः इजराय निष्पादित मुताबिक होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 16:37:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद

उनवान संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
18/19	07.02.2019	/ /2021

पीठासीन अधिकारी – राजेश डागा (R.A.S.)

उनवान

प्रेमशंकर आत्मज रामनारायण जाति नाथ निवासी नोताडा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा

–वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर0टी0एक्ट

उपस्थित– श्री अनिल खण्डेलवाल एडवोकेट वादी की ओर से

निर्णय

वादी ने वाद विरूद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट, इस कथन के साथ पेश किया कि वादी व उसके भाईयों व बहिनों व अन्य की सहखातेदार के शामलाती खातें व कब्जें काश्त की ग्राम नोताडा तहसील दीगोद जिला कोटा में ख0नं0 1627 रकबा 0.81 हे0, ख0नं0 1653 रकबा 0.23 हे0, ख0नं0 1714 रकबा 1.34 हे0 कुल किता 3 रकबा 2.38 हे0 भूमि स्थित चली आ रही है। वादी को घर में जमना शंकर के नाम से जाना जाता है व पुकारा जाता है तथा वादी का वास्तविक नाम प्रेम शंकर है, किन्तु वादी के उक्त राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम अपनें भाई कन्हैयालाल के साथ जमना शंकर 1/2 हिस्से पर अंकित है तथा बहिन कैलाश बाई, पार्वती बाई के साथ 1/10 हिस्से पर वादी का नाम सहवन से यमुना शंकर अंकित हो गया है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी में वादी के दो नाम अंकित है जबकि वादी का वास्तविक नाम प्रेम शंकर है। प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम प्रेम शंकर के स्थान पर जमना शंकर व यमुना शंकर दर्ज कर दिया है जो गलत है। वाद कारण दिनांक 10.01.2013 को उत्पन्न हुआ जबकि प्रतिवादी नें उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम [illegible] नहीं करनें से हुआ।

वाद पेश कर वादी ने निवेदन कि[illegible] है [illegible] वादी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व [illegible] पारित की [illegible] कि– वादी व उसके भाईयों व बहिनों व

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 16:37:18 IST
Reason: SelfAttested

कोटा प्रति प्रमाणित

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद (कोटा)

Scanned by CamScanner

अन्य सहखातेदार के शामलाती खातें व कब्जें काश्त की ग्राम नोताडा तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 1627 रकबा 0.81 हे0, ख0नं0 1653 रकबा 0.23 हे0, ख0नं0 1714 रकबा 1.34 हे0 कुल किता 3 रकबा 2.38 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम जमना शंकर व यमुना शंकर के स्थान पर प्रेम शंकर दर्ज किये जानें की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें। प्रतिवादी को आदेशित किया जावें कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट न्यायालय को भिजवावें। वाद व्यय व अन्य सहायता हो वह भी वादनी को प्रदान की जावें।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादनी की ओर से निम्न दस्तावेजात् प्रस्तुत किये—

1. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम नोताडा सं0 2063—66 खाता नं0 56
2. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम नोताडा सं0 2067—70 खाता नं0 63
3. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम नोताडा सं0 2071—74 खाता नं0 68
4. छायाप्रति मतदाता पर्ची प्रेमशंकर पुत्र रामनारायण
5. छायाप्रति भामाशाह कार्ड पार्वती बाई पत्नी प्रेमशंकर
6. छायाप्रति आधारकार्ड प्रेमशंकर पुत्र रामनारायण
7. छायाप्रति ड्राईविंग लाईसेन्स प्रेमशंकर पुत्र रामनारायण
8. छायाप्रति टी0सी0 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नोताडा मालियान प्रेमशंकर पुत्र रामनारायण दिनांक 01.03.2000
9. प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत नोताडा दिनांक 01.01.2019

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी हेतु सम्मन् जारी किये गये। प्रकरण में तहसीलदार दीगोद का जवाब प्रस्तुत हुआ। जवाब प्रस्तुत कर विशेष कथन किये कि रिपोर्ट पटवारी हल्का नोताडा मालियान तहसील दीगोद जमाबंदी सं0 2063—66 के खाता नं0 56 कुल खसरा 3 रकबा 2.38 हे0 व सं0 2067—70 खाता नं0 63 कुल खसरा 3 रकबा 2.38 हे0 में कन्हैयालाल, ओमप्रकाश, जमना शंकर पिता रामनारायण, मु0 कल्याणी बेवा रामनारायण नाथ अन्य सहखातेदारों के साथ दर्ज रिकॉर्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र व शपथ पत्र तथा प्रस्तुत नकल जमाबंदी में जमुनाशंकर/रामनारायण व यमुनाशंकर/रामनारायण का अंकन हो रहा है। जबकि वादी का नाम स्कूल रिकॉर्ड व आधार कार्ड, पहचान पत्र में प्रेमशंकर पुत्र रामनारायण ही है, जो शामिल पत्रावली है। ग्राम पंचायत नोताडा मालियान के सरपंच द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 16:37:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

तस्दीक प्रमाण पत्र दिनांक 01.01.2019 के अनुसार जमुनाशंकर पुत्र रामनारायण व यमुनाशंकर पुत्र रामनाराराण का वास्तविक नाम प्रेमशंकर पुत्र रामनारायण ही है।

हमनें उभय पक्ष को अपने–अपने साक्ष्य शहादत आदि प्रस्तुत करने के पर्याप्त एवं युक्तियुक्त अवसर दिये तथा वाद साक्ष्य हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कादि पर विचार किया। बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया। वादी द्वारा वांछित रिलीफ के कम में वादी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी सं0 2063–66 खाता नं0 56 वाके ग्राम नोताडा में वादी का नाम जमनाशंकर पुत्र रामनारयण अंकित है तथा जमाबंदी सं0 2067–70 खाता नं0 63 व जमावदी सं0 2071–74 खाता नं0 68 में वादी का नाम क्रमशः जमनाशंकर पुत्र रामनारायण व यमुनाशंकर पुत्र रामनारायण पृथक–पृथक हिस्से से दर्ज रिकॉर्ड है। वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात्, जवाव सरकार, पटवारी हल्का रिपोर्ट, ग्राम पंचायत नोताडा द्वारा जारी तस्दीक प्रमाण पत्र से प्रकरण में जमनाशंकर पुत्र रामनारायण व यमुनाशंकर पुत्र रामनारायण एक ही व्यक्ति का नाम है, जिसका वास्तविक नाम प्रेमशंकर पुत्र रामनारायण होनें की पुष्टि होती है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात्, जवाब सरकार के अनुसरण में वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्तनीय है।

परिणामतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम नोताडा तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 1627 रकबा 0.81 हे0, ख0नं0 1653 रकबा 0.23 हे0, ख0नं0 1714 रकबा 1.34 हे0 कुल किता 3 रकबा 2.38 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम जमना शंकर के स्थान पर प्रेमशंकर उर्फ जमनाशंकर पुत्र रामनारायण व यमुनाशंकर के स्थान पर प्रेम शंकर उर्फ यमुनाशंकर पुत्र रामनारायण दर्ज किया जावें, शेष यथावत् रहेगा। तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनॉक 21/01/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/25-1-21

62

25-1-21

25-1-21

(राजेश डागा)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 16:37:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अंतिम डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

उनवान

प्रेमशंकर आत्मज रामनारायण जाति नाथ निवासी नोताडा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा

–वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर0टी0एक्ट

मिसल नम्बर–18/17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु मुझ राजेश डागा आर.ए.एस. बहाजिरी श्री अनिल खण्डेलवाल एडवोकेट मिनजानिब मुददई रुबरु मिनजानिब मुददालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम नोताडा तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 1627 रकबा 0.81 हे0, ख0नं0 1653 रकबा 0.23 हे0, ख0नं0 1714 रकबा 1.34 हे0 कुल किता 3 रकबा 2.38 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम जमना शंकर के स्थान पर प्रेमशंकर उर्फ जमनाशंकर पुत्र रामनारायण व यमुनाशंकर के स्थान पर प्रेम शंकर उर्फ यमुनाशंकर पुत्र रामनारायण दर्ज किया जावें, शेष यथावत् रहेगा।" तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 2/ / /2021 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 16:37:18 IST
Reason: SelfAttested

(राजेश डागा)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

फोटो प्रति प्रमाणित

Scanned by CamScanner